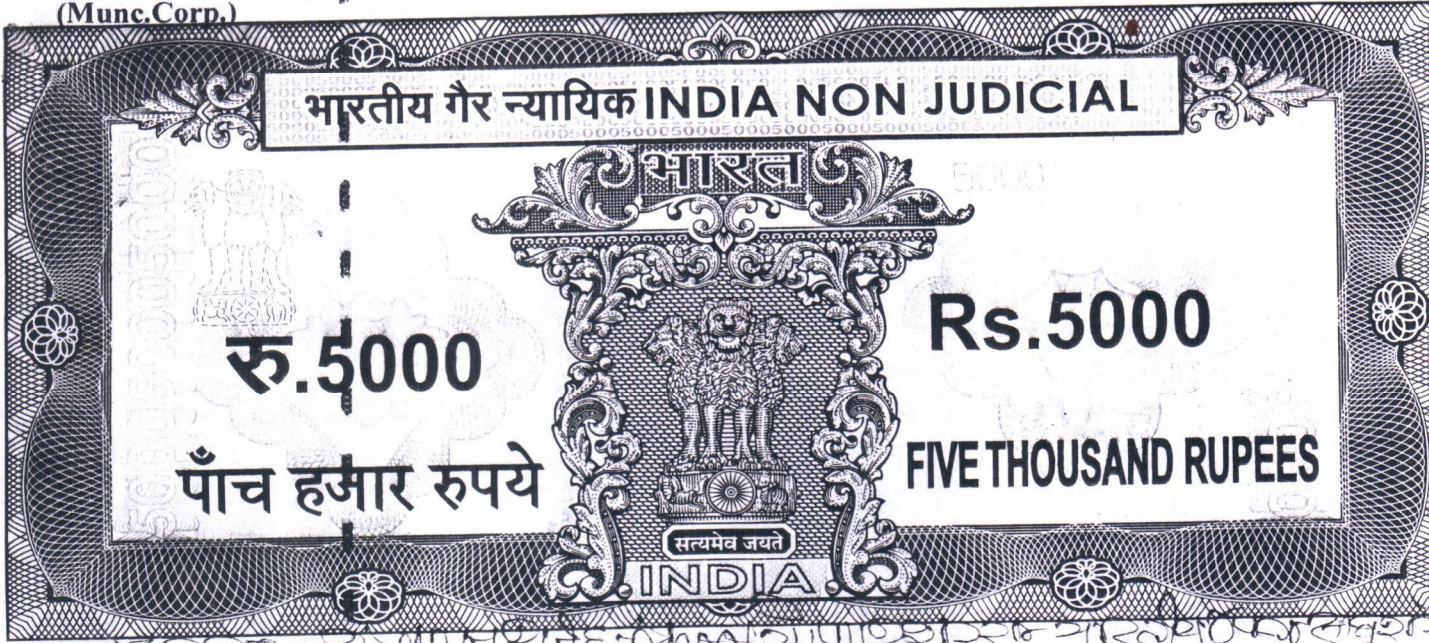


Serial No. 16935
(Munc. Corp.)

Circle:-:Gaya

Book No. :- 1 Deed No. 16308



बिहार BIHAR

Serial No. 16935

Deed No. 16308

बिहार सरकार
जिला निबंधन कार्यालय, गया

पृष्ठांकन का संरांश

दिनांक 26/10/2016 को Rajkishor Singh द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, गया में उपस्थापित किया गया। इसमें रु0 385000 मुद्रांक शुल्क एवं रु0 21500 निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 16308 के रूप में पुस्तक सं0 1 की जिल्द सं0 237 के पृष्ठ सं0 461 से 475 तक CD 37 में आज निबंधित एवं कुल 15 पृष्ठों में संधारित किया गया।

दिनांक-26/10/2016

टोकन नं. 17522/2016

सुकुमार झा
निबंधन पदाधिकारी

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 26.10-
2016 को श्री राजकिशोर सिंह उम्र 59 वर्ष



26/10/2016
26/10/2016
26/10/2016
26/10/2016

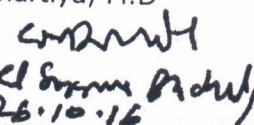
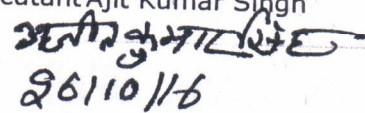
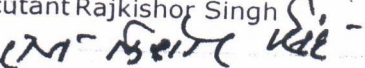
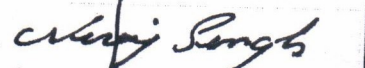
District Registry Office, Gaya

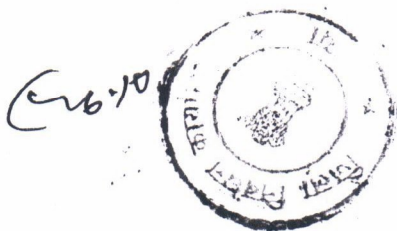
Token Number 17522

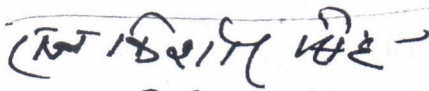
Reg. Year 2016

Serial Number 16935

Deed Number 16308

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Gharaunda Building Pvt.Ltd.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.							
Claimant	Gopal Sharan Bhartiya, M.D						
Sig.							
Executant	Ajit Kumar Singh						
Sig.							
Presented	Rajkishor Singh						
By							
Sig.	26/10/2016						
Executant	Rajkishor Singh						
Sig.							
Identified	Niraj Singh						
By							
Sig.	S/o Ajit Kumar Singh 26/10/16						




26/10/2016

PAN AIVPS4690K 2. श्री अजीत कुमार सिंह उम्र 53 वर्ष PAN AGRPS2825E पिता स्व० गंगाधर कुमार सिंह निवासी ग्राम केन्दुआ टोला केन्दुई, थाना मगध मेडिकल कॉलेज गया, जिला गया, वर्तमान पता महल्ला स्वराज्यपुरी रोड भारत सेवा श्रम संघ अपोजिट शाखा विहार शहर गया थाना सिविल लाईन्स जिला गया पेशा नौकरी नागरिकता भारतीय जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

श्री गोपाल शरण भारतीय उम्र 46 वर्ष पिता श्री साधु शरण मैनेजिंग डायरेक्टर घरौंदा बिल्डकॉन प्रा० लि० PAN AACCG2643Q कार्यालय स्थान G-1 Mahadevi Apartment कांशीनाथ लेन पूर्वी लोहानीपुर कदमकुआं पटना 800003 वर्तमान पता वैशाली सिनेमा कैम्पस राजेन्द्र नगर आर्य कुमार रोड पटना 800016 पेशा व्यापार नागरिकता भारतीय, के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवलेपर/भवन निर्माता/ उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ।

यह कि अनुसूची-1 में वर्णित सम्पति भूस्वामी प्रथम पक्ष की मौरूसी जायदाद है। उग्रह सिंह प्रथम पक्ष के मौरूस थे जो अपने पीछे पाँच पुत्र क्रमशः रामचरित्र सिंह, पवित्र सिंह, जनक सिंह, बैजनाथ सिंह एवं एवं रामस्वरूप सिंह को छोड़कर स्वर्गवास किये बाद में रामचरित्र सिंह वो रामस्वरूप सिंह इजमालन परिवार में लावल्द स्वर्गवास कर गये। पवित्र सिंह अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः चन्द्रशेखर सिंह, सरयु प्रसाद सिंह नागेन्द्र प्रसाद सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये वो जनक सिंह अपने पीछे तीन पुत्र मदन सिंह, बागेश्वरी सिंह वो पारसनाथ सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये वो बैजनाथ सिंह अपने पीछे दो पुत्र दुर्गा सिंह वो उमा सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बाद में कुल सामिलात सम्पति का आपसी खानगी पारिवारिक बटवारा उग्रह सिंह के वारसानों के बीच हुई जिसमें अनुसूचि-1 में वर्णित सम्पति चन्द्रशेखर सिंह के खास हिस्से वो दाज में मिली वो चन्द्रशेखर सिंह के मृत्युपश्चात अनुसूचि-1 में वर्णित



(For 18/11/16)
26/10/2016

For Gharounda Buildcon Pvt. Ltd.

अजीत कुमार सिंह

26/10/16

Witnesses

S/o Ajit Kumar Singh

S.P. Road Gaya 26/10/16

DL No-02-0220/20070664

सम्पति वो अन्य सम्पति का खानगी बटबारा चन्द्रशेखर सिंह के पुत्र गंगाधर कुमार सिंह वो गदाधर नाथ सिंह के बीच हुई वो अनुसूची-1 में वर्णित सम्पति वो अन्य सम्पति गंगाधर कुमार सिंह जो प्रथम पक्ष के पिता हुए को खास हिस्से वो दाज में मिली वो गंगाधर कुमार सिंह के मृत्युपरांत प्रथम पक्ष बहैसियत पुत्र एवं जायज वारीस अनुसूची-1 में वर्णित सम्पति पर पूर्ण हकियत के साथ दखल कब्जे में चले आ रहे है वो अनुसूची-1 में वर्णित प्लॉट संख्या 1655, 1652 का खाता संख्या 87 हाल सर्वे खतियान में चन्द्रशेखर सिंह वो नागेन्द्र सिंह के नाम कायम है वो वो प्लॉट संख्या 1656 का खाता संख्या 159 में हाल सर्वे में देवरी कुंअर पति सरजु सिंह का नाम दर्ज है के निस्बत अंचल कार्यालय में दाखिल खारीज वाद संख्या 2138/2013-14 के द्वारा दाखिल खारीज होकर मांग पंजी प्रथम पक्ष के नाम कायम है वो सरकारी राजस्व कर का भुगतान प्रथम पक्ष करते आ रहे है वो सरकारी रसीद अनुसूची-1 में वर्णित सम्पति के निस्बत प्रथम पक्ष के नाम नियमित रूप से कटती चली आ रही है। जिसका डिमाण्ड सं० क्रमश 85/14 है।

यह कि उपरोक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची-1 में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जाय :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची-1 की जमीन पर बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु स्थानीय प्राधिकार गया नगर निगम से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहुमंजिला इमारत बनाएंगे।
2. यह कि प्रथम पक्ष भू-स्वामी और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलेपर ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आवश्यक किया है कि उक्त सम्पति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के



26/10

28/07/2016
Cw-50117 GE-
9201

~~26/07/2016~~

For Gharonda Buildcon Pvt. Ltd.

31st Nov 2019

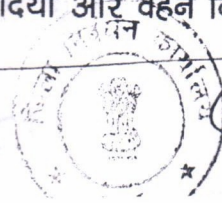
91701198

ગાકાદ- રંગીત કુમાર નિહ પિતા - રવે -

ਗਾਢਾ ਚਰੇ-ਮਾਧ-ਸਿੰਘ. ਉਸ-ਜੀ-ਰੋਡ ਮਾਧਾ -

26/09/2022

21/07/98



Cr 6.10

तय हुआ कि डेवलेपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ. ए. आर. (F.A.R.) सुनिश्चित करेंगे और तदुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात गया नगर निगम एवं संबंधित प्राधिकार को भेजी जाएगी।

9. यह कि डेवलेपर उक्त वास्तुकार (architect) द्वारा निर्मित प्लान गया नगर निगम संबंधित प्राधिकार और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को जमीन मालिक से हस्ताक्षर कराकर उनकी ओर से जमा कर देंगे और जमीन मालिक की ओर से भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवलेपर करेंगे।

10. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवलेपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास पूर्व कार्य तथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवलेपर द्वारा जी.एम.सी. एवं संबंधित प्राधिकार से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जायेगी।

11. यह कि प्राकृतिक आपदा और डेवलेपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर कें कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण के समय सीमा 42 महीने की होगी और उसके बाद कार्यपूर्ण करने का छः महीने का कृपाकाल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित गया नगर निगम एवं संबंधित प्राधिकार द्वारा नक्शा स्वीकृति की तिथि से गिनी जायेगी।

12. यह कि उभय पक्ष यानी जमीन मालिक एवं डेवलेपर सहमत और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 बिहार बिल्डींग बाईलॉज 2014 तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के

1/11/2016
26/10/2016

For Gharounda Buildcon Pvt

Director

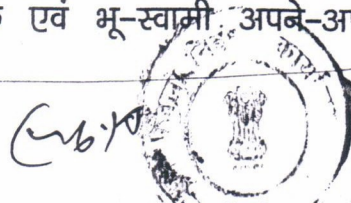
अध्यक्ष भुवन विकास

26-10-16

गणेश राजकुमार मिश्रा रामबल्लभ सिंह

AT राजा पुर 2 कोटा गया

26/10/16



(TW-18017) rec-

26 Nov 92

1

नवत है:-

(८५६-१०)



A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम से प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वकृति के लिए आवेदन करना, कानूनी मुकदमों, वचनबद्धता सम्बंधी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकार कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

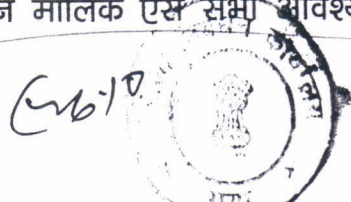
D. इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों की अपने फ्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थओं से ऋण लेने के लिए डेवलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

E. डेवलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 58 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।

F. डेवलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन को उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenement इमारत के स्वीकृत नक्शे के अनुसार बनाकर करेंगे तथा भू-स्वामी के 42 प्रतिशत हिस्से को छोड़कर उन्हें बेचेंगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसे जरूरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें, "डेवलपर क्षेत्र" के निर्माण पर होगा जिसे वे उसे उचित समझें बेचें और ऐसे फ्लैट इकाइयों/tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें।

J. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे गया नगर निगम/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा वचनबद्धताओं को अगर डेवलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं,

15/11/16
26/10/2016
For Gharounda Buildcon Pvt. Ltd.
26/10/16
26/10/16



विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ पत्रों और अन्यस कानूनी अथवा statutory कांगजातों को स्थानीय प्राधिकार गया नगर निगम या अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत है।

16. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-

(i) कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है तथा अनुसूचि-। में वर्णित भूमि संबंधित हर प्रकार से हकियत नुकश से पाक एवं साफ है तथा ऋण भार से मुक्त है काश भविष्य में किसी प्रकार की अनुसूचि-। भूमि के संबंध में हकियत नुकश या ऋण भार पाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति हर्जाना का देनदारी जमीन मालिक की होगी तथा जमीन मालिक यह भी आश्वस्त किया कि प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का नक्शा और प्रारूप को गया नगर निगम से पास करवाने में उनके तरफ से कोई रुकावट पैदा नहीं की जायेगी तथा अपेक्षित सहयोग करेंगे।

17. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवलेपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का अपने 58 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवलेपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरित करने के लिए डेवलेपर सभी कदम उठाएँगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

18. डेवलेपर उक्त जमीन का उन्नयन अपने नाम से करेंगे और भवन निर्माण तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष आपसी सहमति से तय करेंगे और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवलेपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेलेपर ही सरकार, गया नगर निगम एवं अन्य प्राधिकारों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जबाब देय होंगे तथा उन्नयन में अगर कोई नुकशान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुकसान, दंड अथवा

17/10/18

26/10/2018

For Gharunda Building Pvt Ltd.

26.10.18

अजीत कुमार सिंह

26/10/18

26/10

अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्क या अनुबंध विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

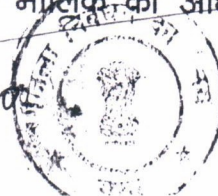
19. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित्त इकरारनामा इत्यादित निष्पादित करेंगे।

20. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवलपर या उनके नामितों द्वारा वहन किया जाएगा।

21. गया नगर निगम द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से छः महीने का कृपा अवधि (Grace period) के अन्तर्गत अगर डेवलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते हैं अथवा जमीन मालिक को बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं तो वैसे किसी दैविक कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक आपदा को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवलपर को आपसी सहमति से आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा और जिस दिन द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उनके हिस्से का निर्मित भाग सुपुर्द करेंगे उस दिन से सभी तरह के सेवा कर प्रथम पक्ष को स्वयं भुगतान करना होगा।

22. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी, घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामुहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

26/10/16



अजीत कुमार सिंह (W-152115) 28/10/2016

For Ghazipur Building Pvt. Ltd.

26/10/16

28.10.16

23. डेवलेपर गया नगर निगम संबंधित प्राधिकार के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

24. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामान्य बिजली, plumbing and sanitary कार्यो जिसमें भूमिगत एवं उपर टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे गया नगर निगम संबंधित प्राधिकार की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

25. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवलेपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवलेपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदुर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

26. प्रस्तावित इमारत गया नगर निगम/संबंधित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

अनुसूची-1

कुल एराजी 50 डी0 (पच्चास डीसमील) आवासीय योग्य परती भूमि स्थित ग्राम केन्दुई, थाना मगध मेडिकल कॉलेज गया, जिला गया, थाना नं0 323 वार्ड नं0 46 अन्दर नगर निगम गया, जिसकी सदर रजिस्ट्री वो कलकट्टी वो मुन्सफी जिला गया। अंचल कार्यालय चन्दौती।

<u>खाता नं0</u>	<u>प्लॉट नं0</u>	<u>ए0-डी0</u>
87 नया	1655 नया	0-02
सतासी	एक हजार छः सौ पचपन	
87 नया	1652 नया	0-08
सतासी	एक हजार छः सौ बावन	

(26/10)



15/10/16
26/10/2016
For Ground Building Pvt. Ltd.
26/10/16
अमर कुमार सिंह

1.59 नया

1656 नया

0-40

एक सौ उनसठ एक हजार छः सौ छप्पन

कुल - 0-50 डी0

(पच्चास डीसमील)

चौहद्दी

उत्तर	-	रतन सिंह
दक्षिण	-	गोपाल शरण सिंह
पूरब	-	गया बोधगया रोड
पश्चिम	-	नीज

लेख्य सम्पति का सरकारी मुल्य

मो0 1,92,50,000/- एक करोड बानवे लाख पच्चास हजार रुपये होता है।

अनुसूची-॥

संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण

ढांचा :- गया नगर निगम द्वारा स्वीकृत आर0सी.सी. फ्रेम ढांचा।

Civil कार्य :- गया नगर निगम द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, बालू एवं मसाला।

परिसज्जन :- जमीन मालिक के हिस्से की सभी दीवारें तथा भीतरी छत में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें प्लास्टर होगी और स्नोसेम से पूर्ती होगी।

दरवाजे :- दरवाजे का ढांचा लकड़ी का तथा मुख्य दरवाजों पर लकड़ी का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला प्लाई बोर्ड को होगा और उस पर दो तह सिन्थेटिक इन्डैमेल पेंट होगा। पेन्ट की गुणवत्ता साधारण से नीचे का नहीं होगा।

(सुबोध)



(म- 15/11/16)
28/10/2016
For Gharunda Builders Pvt. Ltd.
Managing Director

अज्ञेय कुमार
26/10/16

खिड़कियाँ :- अल्युमिनियम के फ्रेम से पूर्ण glazed खिड़कियाँ लोहे के ग्रिल के साथ।

फर्श :- Vertrified tiles प्लैट के अन्दर समस्त फर्श क्षेत्र।

शौचालय :- शयन कक्ष से जुड़े शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचन एवं बाथरूम का जमीन संगमरमर का होगा।

रसोई घर :- संगमरमर का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 18" ऊँचा रंगीन glazed टाइल्स।

बिजली व्यवस्था :- मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी0वी0सी0 conduit wiring शयन कक्ष में एवं ड्राईंग रूम में A.C. प्वाइंट।

उपर्युक्त specifications esa promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है।

अनुसूची-III

प्लैट की खास विशेषताएँ :-

1. चौबीसों घंटे अपने ट्यूबवेल से जुड़े सामूहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था। सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था।
2. सामूहिक सेवा के लिए प्रतीक्षारत जेनरेटर।
3. प्लैट के अन्दर concealed बिजली जिसमें तांबे का तार होगा। यह कि यह एकरारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोच समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आये एवं प्रमाण रहे।

एतद् द्वारा हमलोग शपथ-पूर्वक घोषणा करते हैं कि मनोबंध की जाने वाली वर्णित भूमि भू-हदबन्दी, गैरमजरुआ आम, कैसरे हिन्द, वक्फ बोर्ड, न्यास बोर्ड, लाल कार्ड पर्चा एवं भूदान इत्यादी से हासिल नहीं है साथ ही सरकारी भूमि तथा सिलिंग सूचि से मुक्त है तथा सम्पत्ति के

For Charanda Builders Pvt. Ltd.
28/10/2016

Managing Director

अजीत कुमार सिंह
अजीत कुमार सिंह
28/10/16

26.10

विषय में दी गई सूचना पूर्ण एवं सत्य है किसी प्रकार की अनियमितता पायी गयी तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष पर होगा।

प्रथम पक्ष जमीन

मालिक का हस्ताक्षर

(म. 18/11/15) -

28/10/2016

अनिल कुमार सिंह

26/10/16

द्वितीय पक्ष विकासक

का हस्ताक्षर

W. B. Dhar

26/10/16

W. B. Dhar

(म. 18/11/15) -

28/10/2016

अनिल कुमार सिंह

25/10/16

For Gharunda Built.com
W. B. Dhar

26/10/16
Managing Director

प्रारूपकर्ता :-

अनिल कुमार सिंह

ला0 नं0 :-

30/05/16

लेख्य तिथि :-

26-10-2016

टंकक :- सिन्हा कम्प्यूटर प्रेस गया।



Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 385000/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 5000/-
Amt. paid through Bank Challan	Rs. 401500/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge		
FEE PAID	A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR	0	500	
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc.Fee	0		
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	Total	0		
	A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0				
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0						
	TOTAL-										21000			
Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -												21500	Per-10	

Date: 26/10/2016

Registering Officer
Gaya

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Gaya on Wednesday, 26th October 2016 by Rajkishor Singh S/O Gangadhar Kumar Singh Late by profession Others. Status - Executant

(म-15211) दि-
26/10/2016
Signature/L.T.I. of Presentant

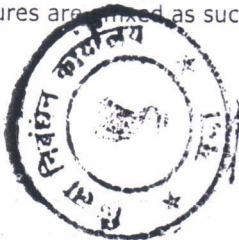
Date: 26/10/2016

(म-15211)
Registering Officer
Gaya

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Niraj Singh' age '23' Sex 'M', 'S/O Ajit Singh', resident of 'Swarajpuri Road, p.S. Civil Lines, dist. Gaya'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are annexed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 26/10/2016



(म-15211)
Registering Officer
Gaya

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Gaya in Book 1 Volume No. 237 on pages on 461 -475 , for the year 2016 and stored in CD volume No. CD-37 year 2016 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 26/10/2016

(33711) दि-
26/10/2016
Registering Officer
Gaya

Token No. : 17522

Year : 2016

S.No. : 16935

SCORE Ver.4.0

Deed No. : 16308